

वन विभाग हरियाणा

कार्यालय : वन मण्डल अधिकारी, क्षेत्रीय वन मण्डल,

वन परिसर, यमुनानगर दूरभाष नं० 01732-237821

क्रमांक.....3331
सेवा में

दिनांक.....26.11.2019

Sub Divisional Officer
Const. Sub Division no. 9
C.C. Jagadhri

विषय:- **Diversion of 22.36 Ha. (Revised 39.90 Ha.) of Forest Land for the Remodeling of Augmentation Canal form RD. 0.00 km (Hamida Head to 75.250 km (sub Reach 0 to 20 km) in Distt Yamuna Nagar Haryana) online ProposalNo. FP/HR/canal/41159/2019**

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपने उक्त प्रस्ताव इस कार्यालय को ऑनलाईन भेजकर निर्माण कार्य करने की अनुमति मांगी गई है। आपके द्वारा पहले उक्त प्रस्ताव 39.90 है० का बनाकर इस कार्यालय को भेजा गया था। इस कार्यालय द्वारा कार्यवाही करते हुए उक्त केस उच्चाधिकारियों को भेजने हेतु तैयार कर दिया गया था परन्तु अब आपके द्वारा 39.90 है० का केस रिवाइज करते हुए 22.36 है० करके इस कार्यालय को भेजा गया है।

वन राजिक अधिकारी जगाधरी द्वारा सूचित किया गया है कि प्रयोग की जानेवाली भूमि पर बुर्जी-पिल्लर इत्यादि लगे न होने के कारण नक्शे में दर्शाए गये क्षेत्र का मिलान सम्भव नहीं है। जिसके कारण यह केस आपके स्तर पर लम्बित चल रहा है। अतः आपसे अनुरोध किया जाता है कि प्रस्तावित भूमि पर बुर्जी/पिल्लर इत्यादि लगवाये ताकि नक्शे अनुसार क्षेत्र का मिलान किया जा सके।

इसके अतिरिक्त जैसाकि आपको विधित है कि श्री अलोक वर्मा, भा०व०से०, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक हरियाणा पंचकूला की अध्यक्षता में दिनांक 01.11.2019 को सभा का आयोजन किया गया जिसमें आपके विभाग के Sh. M.L. Rana Chief Engineer व S.E. भी उपस्थित थे और उन द्वारा सभा में कहा गया कि दिनांक 08.11.2019 तक प्रतिपूर्ति व अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण हेतु समतुल्य भूमि वन विभागा को उपलब्ध करवा दी जायेगी। परन्तु आपके विभाग द्वारा आज दिनांक 26.11.2019 तक भी वन भूमि के बदले समतुल्य गैर वन भूमि वन विभाग को उपलब्ध नहीं करवाई गई है।

अतः आपको लिखा जाता है कि प्रतिपूर्ति व अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण 22.36+33.40 = 55.76 है० गैर वन भूमि वन विभाग को स्थानान्तरित करने का कष्ट करे, ताकि इस केस में आगामी कार्यवाही की जा सके।

पृ०क्रमांक

25/11/2019 दिनांक

वन मण्डल अधिकारी
यमुनानगर।

एक प्रति वन राजिक अधिकारी को उनके कार्यालय के पत्र क० 799 दिनांक 21.11.2019 के संदर्भ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

sd-
वन मण्डल अधिकारी
यमुनानगर।